न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./105/2013/बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1. पुनमा पुत्र रूघा जाति मेगवाल निवासी शास्त्री गांव(गिराव) तहसील गडरारोड़, जिला बाड़मेर	1. रणजीता पुत्र रूघा 2. तुलछा पुत्र रूघा 3. छगना पुत्र रूघा 4. अगरा पुत्र रूघा जाति मेगवाल निवासी शास्ती गांव (गिराव) तहसील गडरारोड 5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार गडरारोड़

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 495/2010 बअनवान रणजीता बनाम अगरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2010 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री चेतनराम सारण अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—13.07.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसील शिव (वर्तमान में गडरारोड़ हैं) के मौजा शास्त्री गांव पटवार मडंल गिराब में अपीलांट व उतरदाता संख्या 4 अगरा की संयुक्त खातेदारी में खेत खसरा संख्या 694, 697, 721 व 738 समस्त रकबा 123.09 बीघा आये है, जिस पर अपीलांटस हिस्सा 1/2 पर काबिज हो कर काश्त करता आ रहा है। वादीगण ने हस्तगत वाद उतरदाता संख्या 04 को प्रतिवादी बनाक पेश कर निवेदन किया कि वादीगण तथा प्रतिवादी के पिता रूघा के स्वर्गवास पर उक्त आराजी अकेले वादीगण के बडे भाई अगरा के नाम दर्ज हो गई तथा अगरा के साथ पुनमा पुत्र रूघा भी दर्ज कर दिया। स्व. रूघा के कोई पुनमाराम नाम का पुत्र नहीं है अन्त में निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी में प्रतिवादी अगरा के साथ वादीगण को सह खातेदार घोषित किया जाये इस आराजी के खातेदारी रेकर्ड से पुनमा का नाम हटाया जावे। इसी दिन प्रतिवादी संख्या 01

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अगरा ने वादीगण के वाद को स्वीकार किया। वादीगण के कथन की जांच मजमें आम में कर फर्द मौका तैयार की गई तथा उसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर वादीगण को अपीलाधीन आराजी में उतरदाता संख्या 04 अगरा के साथ सह खातेदार घोषित किया गया तथा अपीलांटस का नाम खातेदारी रेकर्ड से विलोपित किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांटस अधिवक्ता की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंटस अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित जिनके विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में एकपक्षीय पारित की गई। हस्तगत प्रकरण में अपीलांटस प्रभावित पिड़ित पक्षकार होते हुए भी पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र एवं आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता बाबत अपील दायर करने की अनुमति प्रदान करने पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटस हस्तगत वाद में पक्षकार प्रतिवादी नहीं है फिर भी प्रार्थी के विरूद्ध मजमें आम में राय लेकर आदेश पारित कर प्रार्थी के नाम का अंकन अपीलाधीन आराजी के खातेदारी से हटा दिया। अपीलाधीन आदेश में विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल है तथा इसमें विधि एवं न्याय का प्रश्न निहित है तथा अपील गुणावगुण पर सुनवाई हेतु ग्रहण योग्य है तथा वास्तविक जानकारी तिथि से अपील अन्दर मियाद पेश की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील पेश करने मे हुई देरी सदभाविक है। अतः अपीलांट की अपील को अन्दर मियाद शुमार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र एवं आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता बावत अपील दायर करने की अनुमति प्रदान करने पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलांटस को हस्तगत वाद में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अपीलांटस अपीलाधीन आराजी का पिड़ित एवं प्रभावित पक्षकार है। अतः हस्तगत अपील को तकनीकि बिन्दु के आधार पर निस्तारण करने की बजाय गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील पेश करने हेतु अपीलांटस को अनुज्ञात किया जाता है तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में पारित की गई जबकि कैम्प कोर्ट में राजीनामा के आधार पर ही निर्णय पारित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटस को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश वाद में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। उतरदाता/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में अपीलांट को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांट को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 495/2010 बआनवान रणजीता बनाम अगरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2010 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर कर गुणावगुण पर विधि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट ...

सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनरथ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.09.2023 को उपस्थित हो। अधीनरथ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिभा कुमारी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 13.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर